न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 25 / 2023

अनवान : –

1. धनपत पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 11/3/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 53 / 53 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 97 / 97 की कुल 1.9230 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल की अपनी कृषि भूमि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 53 / 53 की कुल 1.8720 हैक्ट कृषि भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नही है। इसलिए आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सायल व गैरसायल संख्या 1 दोनों आपस में भाई है तथा इनकी कृषि भूमि चिपती कृषि भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 खेत में ढाणी बनाकर रहता है इसलिए सायल अपने गांव से चलकर पक्का रास्ता से होते हुए गैरसायल के रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 97 / 97 की कुल 1.9230 हैक्ट भूमि के प0न0 359 / 426(18) के किला न0 6 / 1, 15 / 1 में मंजूरशुदा रास्ता से होते हुए किला न0 6 व 7 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की 1–1 गठठा भूमि में से होकर अपने खेत के प0न0 359 / 426(18) के किला न0 8 में प्रवेश करता है तथा किला न0 5 / 1, 6 / 1, 15 / 1 जमाबंदी में खाला दर्ज है जबकि मौके पर उक्त तीनों किलो में मंजूरशुदा रास्ता है और यह रास्ता सदामत से चला आ रहा है [illegible] पर रास्ता चालु है जिसे प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उक्त [illegible] की ऐवज में प्रार्थी के नाम दर्ज रोही मोजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 53 / 53 के प[illegible]359 / 426(18) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

किला न0 4/2 की 1 बिस्वा पूर्वी दिशा की उत्तर से दक्षिण की भूमि जो गैरसायल के चिपती हुयी है देने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायल संख्या 1 के रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 97/97 की कुल 1.9230 हैक्ट भूमि के प0न0 359/426(18) के किला न0 6 व 7 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की 1–1 गठठा (8–1/4 फुट चौड़ा) रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं रास्ते की ऐवज की भूमि में भूमि में प्रार्थी के नाम दर्ज रोही मोजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 53/53 के प0न0 359/426(18) के किला न0 4/2 की 1 बिस्वा पूर्वी दिशा की उत्तर से दक्षिण की भूमि जो गैरसायल के चिपती हुयी है भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 53/53 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 97/97 की कुल 1.9230 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 खेत पड़ौसी है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायल संख्या 1 की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 के रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 97/97 के प0न0 359/426(18) के किला न0 6 व 7 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की 1–1 गठठा (8–1/4 फुट चौड़ा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ते की ऐवज की भूमि में सायल गैरसायल को रोही मोजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

53 / 53 के प0न0 359 / 426(18) के किला न0 4 / 2 की 1 बिस्वा (8–1 / 4 फुट) पूर्वी दिशा की उत्तर से दक्षिण की भूमि जो गैरसायल के चिपती हुयी देगा। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/3/2024.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर / रास्ता / 2023 / 256 दिनांकः– 11/3/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–25 / 2023 निर्णय दिनांक 11/3/2024 ।

प्रकरण संख्या – 25 / 2023
अनवान : –

1. धनपत पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 25 / 2023 अनवान धनपत बनाम रामकुमार आदि में निर्णय दिनांक 11/3/2024 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे गैरसायल संख्या 1 के रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 97 / 97 के प0न0 359 / 426(18) के किला न0 6 व 7 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की 1–1 गठठा (8–1 / 4 फुट चौड़ा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ते की ऐवज की भूमि में सायल गैरसायल को रोही मोजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 53 / 53 के प0न0 359 / 426(18) के किला न0 4 / 2 की 1 बिस्वा (8–1 / 4 फुट) पूर्वी दिशा की उत्तर से दक्षिण की भूमि जो गैरसायल के चिपती हुयी देगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:00 IST
Reason: SelfAttested